

(5)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नमानं ३-२०१७७३

2706

संख्या-ई.स./जी.एस.  
दिनांक २७ अक्टूबर, २००३

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

रोना मे,

वृक्षरामगढ़,  
महात्मा ज्योतिबाफुले रहेलखण्ड विश्वविद्यालय,  
बरेली।

महोदय,

आपके पत्र राखा-र०विं०/सम्ब/२००२/७५०-५२ दिनांक ४.३.२००२ के संटर्म में मुझे  
आपरो गढ़ वाहने का निदेश हुआ है कि गणगांगा कुलाधिपति गोदाय ने ३०प्र०रात्र्य विश्वविद्यालय  
आधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के अधीन रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, गजरौला  
(ज्योतिबाफुल नगर) को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, मनोविज्ञान,  
रागाजशारन, राजनीतिशारन एवं आर्थशारन विषयों में दिनांक २.७.२००३ से राम्भकृता गी। स्वीकृति  
संठष्ठ प्रदान कर दी है।

भवदाय

(राकेश कुमार ओड़ा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।  
 २. प्रगृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।  
 ३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।  
 प्रबन्धक, रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, गजरौला (ज्योतिबाफुल नगर)

(राकेश कुमार ओड़ा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

Photo Copy Attested

प्राचार्य  
*M. Ghosh*

माबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय  
गजरौला (अमरोहा)

प्रेषक,

ओम प्रकाश मिश्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

कुलसचिव,  
बरेली विश्वविद्यालय, बरेली

लाइनअः दिनांक ०४ जनवरी, 2005

उच्च शिक्षा अनुभाग-5

विषय:- रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरौला ज्योतिवाफुले नगर(मुरादाबाद) में स्नातक स्तर पर बी०का०८० तथा बी०एस०सी० की कक्षाएं संचालित किये जाने हेतु शैक्षिक सत्र 2005-06 में सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रमाबाई राजकीय महाविद्यालय गजरौला ज्योतिवाफुले नगर (मुरादाबाद) में बी०एस०सी० में पॉचों विषयों तथा बी०का०८० की कक्षाएं संचालित किये जाने हेतु शैक्षिक सत्र 2005-06 में, पद सृजन की प्रत्याशा में महाविद्यालय का पैनल कराकर निरीक्षण आख्या के साथ सम्बद्धता का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जा सकें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश मिश्र)  
अनु सचिव।

संख्या-2032(1)/सत्तर-5-2004 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- २- क्लीरिय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
- ३- प्राचार्य रमाबाई अम्बेडकरनगर राजकीय महाविद्यालय गजरौला ज्योतिवाफुले नगर (मुरादाबाद)

आज्ञा से,  
४८/१३१/०५  
(ओम प्रकाश मिश्र)  
अनु सचिव।

Photo Copy Attested

प्राचार्य  
मावड अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय  
गजरौला (अमरोहा)

मार्च २००५  
५.२.०५

University Grants Commission  
Babuadur Shah Zafar Marg  
NEW DELHI-110022.

F.8-57/98(CPP-I)

January, 1999.

Came *Arora*  
1.1.03  
7N

1  
11.4.12

The Registrar,  
Mahatma Jyotiba Phule  
Rohilkhand University,  
Bareilly (U.P.).

12 JAN 1999

Sub: List of colleges prepared under Section-2(f) of the  
UGC Act, 1956-Inclusion of New Colleges.

Sir,

I am directed to refer to your letter No. PU/UGC/ptvt.  
Mahavidyalaya/2(f)/97 dated 16-12-97 on the above subject  
and to say that the name of the following college has been  
included the above list under Government College(+) teaching  
upto Bachelor's Degree:

| Name of the College.   | Year of Estt. | Remarks.   |
|--|---------------|--|
| Ramabai Ambedkar Govt.<br>College, Gajraula -244235,<br>Distt. Jyotiba Phule Nagar<br>(U.P.).<br>(Sh. H.S. Saxena) | 1996          | The College is not<br>eligible to receive<br>central assistance in<br>terms of the rules<br>framed under Section-<br>12-B of the UGC Act,<br>1956. |

Photo Conv Attached

प्राचय  
मायद अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय  
गजरौला (जमुरोहा)  
A.गजरौला (जमुरोहा)

Yours faithfully,

*D.D. Mehta*  
(D.D. Mehta)  
Under Secretary

Copy forwarded to:-

1. The Principal, Ramabai Ambedkar Govt. College, Gajraula-244235, Distt. Jyotiba Phule Nagar, (U.P.).
2. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Education, T-14 Section, New Delhi.
3. Joint Secretary, UGC Northern Regional Office, A Block, IIInd floor, Nehru Vikas Minar, Nehru Purushottam Complex, G.T. Road, Ghaziabad.
4. All Sections, UGC.
5. S.O. (F.I.-III) Section, UGC.
6. D.T.P. Cell, UGC, New Delhi.
7. Guard file.

*C.P. Arora*  
(C.P. Arora)  
Section Officer

REGISTRATION NO. 20040000000000000000  
DRAFTED DATE: 2004-03-22 10:00:00

WEBSITE ADDRESS: [www.mjpru.ac.in](http://www.mjpru.ac.in)



UNIVERSITY GRANTS COMMISSION  
3A, ADARSH KAROONI MARG,  
NEW DELHI - 110 002

F. 8-61/2004 (CPP-I)

March, 2005

The Registrar,  
M.J.P. Rohilkhand University,  
Bareilly-243 006 (U.P.)

17 MAR 2005

Sub :- Declaring a College fit to receive Central financial assistance under Section 12-B  
of UGC Act, 1956.

Sir,

I am directed to refer to the letter No. 954/2004-05 dated 2<sup>nd</sup> March, 2005 received from the Principal, Rama Bai Ambedkar Government Degree College, Gajraula on the above subject and to say that it has been noted that the Rama Bai Ambedkar Government Degree College, Gajraula has been granted permanent affiliation by the M.J.P. Rohilkhand University. Accordingly, the said College which already stands included under Section 2 (f) of the UGC Act, 1956, is declared fit to receive assistance from the UGC, and other Central sources in terms of Rules framed under Section 12-(B) of the UGC Act, 1956.

Photo Copy Attested

Yours faithfully

(Mrs. Urmil Gulati)  
Under Secretary

Copy to:-

1. The Principal, Rama Bai Ambedkar Government Degree College, Gajraula-243 006, Jyotiba Phule Nagar U.P.  
2. The Secretary, Government of India, Ministry of Human Resource Development, Department of Secondary Education & Higher Education, T-14 Section, Shastri Bhawan, New Delhi-110 001.  
3. The Secretary to the Government of Uttar Pradesh, Department of Higher Education, Lucknow (U.P.).  
4. The Joint Secretary, UGC, Northern Regional College Bureau, 35, Ferozshah Road, New Delhi.  
5. Section Officer (F.D.-III Section) U.G.C., New Delhi.  
6. All Sections, U.G.C., New Delhi.  
7. Publication Officer, (website) UGC.  
8. Guard file.

प्राचार्य  
मावा० अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय  
गजरोला (उमरोहा)

Prem Chand  
Section Officer

Dr. Singh, SPB  
Please note it  
Please record my  
Ad' on recording day  
12/3/05

संख्या-1887 / सत्र-5-2008-41(9) / 98

प्रेषक,

डॉ रमानन्द प्रसाद,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
महात्मा ज्योतिश फुले राहेलण्ड विश्वविद्यालय,  
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुमान-

विषय:- रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरौला जैपीनगर को स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विषयों में सम्बद्धता।

लेखनकाल 20 अगस्त, 2008

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- ४०६०/सम्ब०/५४(२)/२००८/१८८५-८६, दिनांक 26-7-2008, के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सभ्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उपर्युक्त उपर्युक्त राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) के अधीन भी सञ्चायपाल रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरौला जैपीनगर को स्नातक स्तर विज्ञान के अन्तर्गत मौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, बनस्पति विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०क०म० विषयों/पाठ्यक्रमों को दिनांक 1-7-2008 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

1- विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्तीत तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

मवदीय,

(डॉ रमानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-1887(1) / सत्र-5-2008 तदनामक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ पूर्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।  
2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।  
3- प्राचार्य, रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरौला, जैपीनगर।  
4- उच्च शिक्षा अनुमान-  
5- गाहू फाइल

Photo Copy Attested

अज्ञा से 2  
(डॉ रमानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।

प्राचार्य  
माधव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय  
गजरौला (जैपीनगर)



महात्मा ज्योतिबा फुले रॉहिलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

पत्रक : रु.वि. / सम्ब. / 2018, - ३०। - ३०२०  
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

दिनांक: 30.06.2018

संलग्न मे.

प्रबन्धक / सचिव / प्राचार्य

रमा बाई अव्वेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरौला,  
अमरोहा।

**विषय:** संस्था रमा बाई अव्वेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरौला, अमरोहा को परासनातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम०१० अंग्रेजी पाठ्यक्रमों/विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

#### महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालयको प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145 / सत्तर-2-2014-16(258) / 2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 30.05.2018 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति का कार्यपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्था रमा बाई अव्वेडकर राजकीय महाविद्यालय गजरौला, अमरोहा, को परासनातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत एम०१० अंग्रेजी पाठ्यक्रमों/विषयों में दिनांक 01.07.2018 से अग्रेतर सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। कभियों/शर्तों की पूर्ति नहीं होने की दशा में सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

01. महाविद्यालय द्वारा उम्प्र० १० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविधिक परन्तुक के अनुसार शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जाय अन्यथा कि स्थिति में छात्रों का प्रवेश स्वतः प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश सं. ५२२/सत्तर-२-२०१३-२(६५०) / २०१२ दिनांक 30 अप्रैल, २०१३ का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
02. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
03. संस्थान/महाविद्यालय सर्वांग सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कभियों/शर्तों प्राचार्य/प्रवक्ताओं की नियुक्ति/अनुमोदन तथा प्रबन्ध समिति का चयन कर दिनांक 30.06.2018 तक विश्वविद्यालय से अनुमोदित करा तिथा जायें एवं विश्वविद्यालय के कुलसंघिय को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिर्योदय प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
04. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि संबंधित अभिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतत्र का होगा।
05. कक्षा संचालन से पूर्व कुलपति महोदय द्वारा नामित सदस्य के माध्यम से मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।
06. संस्था का उपयोग शिक्षणकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जायेगा। परिसर को रेगिस्टर से मुक्त रखेगी।

Photo Copy Attested

प्रावदय

मावाई अव्वेडकर राजकीय महाविद्यालय

गजरौला (अमरोहा)

- ०१ समर्पितात्मकी १०० वर्षों के अवधि पर्याप्त विविध नियन्त्रण के लिए विविध विभागों का सम्बद्धता करने की जीत है। वहाँ हम अपने का अधिकार बताते हैं कि आपको विविध विभागों का अधिकार मिलेंगा।
- ०२ शिख पाठ्यक्रम में भी शिक्षकों के अवधि विविधता एवं उन्नयन के लिए विविध विभागों का सम्बद्धता करने की जीत है। वहाँ हम अपने का अधिकार बताते हैं कि आपको विविध विभागों का अधिकार मिलेंगा।
- ०३ शिख पाठ्यक्रम में भी शिक्षकों के अवधि विविधता एवं उन्नयन के लिए विविध विभागों का सम्बद्धता करने की जीत है। वहाँ हम अपने का अधिकार बताते हैं कि आपको विविध विभागों का अधिकार मिलेंगा।
- ०४ शिख पाठ्यक्रम में भी शिक्षकों के अवधि विविधता एवं उन्नयन के लिए विविध विभागों का सम्बद्धता करने की जीत है। वहाँ हम अपने का अधिकार बताते हैं कि आपको विविध विभागों का अधिकार मिलेंगा।
- ०५ शिख पाठ्यक्रम में भी शिक्षकों के अवधि विविधता एवं उन्नयन के लिए विविध विभागों का सम्बद्धता करने की जीत है। वहाँ हम अपने का अधिकार बताते हैं कि आपको विविध विभागों का अधिकार मिलेंगा।
- ०६ शिख पाठ्यक्रम में भी शिक्षकों के अवधि विविधता एवं उन्नयन के लिए विविध विभागों का सम्बद्धता करने की जीत है। वहाँ हम अपने का अधिकार बताते हैं कि आपको विविध विभागों का अधिकार मिलेंगा।
- ०७ शिख पाठ्यक्रम में भी शिक्षकों के अवधि विविधता एवं उन्नयन के लिए विविध विभागों का सम्बद्धता करने की जीत है। वहाँ हम अपने का अधिकार बताते हैं कि आपको विविध विभागों का अधिकार मिलेंगा।
- ०८ शिख पाठ्यक्रम में भी शिक्षकों के अवधि विविधता एवं उन्नयन के लिए विविध विभागों का सम्बद्धता करने की जीत है। वहाँ हम अपने का अधिकार बताते हैं कि आपको विविध विभागों का अधिकार मिलेंगा।
- ०९ शिख पाठ्यक्रम में भी शिक्षकों के अवधि विविधता एवं उन्नयन के लिए विविध विभागों का सम्बद्धता करने की जीत है। वहाँ हम अपने का अधिकार बताते हैं कि आपको विविध विभागों का अधिकार मिलेंगा।
- १० शिख पाठ्यक्रम में भी शिक्षकों के अवधि विविधता एवं उन्नयन के लिए विविध विभागों का सम्बद्धता करने की जीत है। वहाँ हम अपने का अधिकार बताते हैं कि आपको विविध विभागों का अधिकार मिलेंगा।
- ११ शिख पाठ्यक्रम में भी शिक्षकों के अवधि विविधता एवं उन्नयन के लिए विविध विभागों का सम्बद्धता करने की जीत है। वहाँ हम अपने का अधिकार बताते हैं कि आपको विविध विभागों का अधिकार मिलेंगा।
- १२ शिख पाठ्यक्रम में भी शिक्षकों के अवधि विविधता एवं उन्नयन के लिए विविध विभागों का सम्बद्धता करने की जीत है। वहाँ हम अपने का अधिकार बताते हैं कि आपको विविध विभागों का अधिकार मिलेंगा।

मार्गदर्शक

शिख पाठ्यक्रम  
अधिकारी

- शिख पाठ्यक्रम का सम्बन्धित एवं अवधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त -
- ०१ शिख संविद उच्च शिक्षा उच्च शासन सम्बन्धी।  
 ०२ निदेशक, उच्च शिक्षा उच्च प्रटीस इत्यादित।  
 ०३ विद्या अधिकारी (एचडीएफएलएलडी) संस्थानी।  
 ०४ हीच उच्च शिक्षा अधिकारी विवेदी।  
 ०५ कुलसाहेब सम्बन्धी।  
 ०६ नियन्त्री राज्यीय कुलाधी।  
 ०७ अग्र संस्कार उच्च शिक्षा अधिकारी हायिन्स नवनी, लखनऊ।  
 ०८ परीक्षा नियन्त्रकी की अधिकारी जारीगाही हिंदु।  
 ०९ श्री संकेत गोपन, श्रीदाम् जी की इस अधिकारी से कि शूलन विविधता एवं उपलब्धि की

संज्ञोऽपि

Photo Copy Attested

प्रवाय

मार्गदर्शक अधिकारी राजकीय महाविद्यालय  
अमरगढ़ (अमरोहा)

# महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

पत्रांक: स०वि०/सम्बद्धता/2017/1261 - 12 न०  
सेवा मे,

दिनांक: 29.05.2017

## प्रबन्धक/सचिव

रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय,  
गजरौला, अमरोहा।

**विषय:** रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, अमरोहा को स्नातक स्तर पर शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम/विषय में अग्रेतर सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिभार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा शासनादेश सं. सम्ब-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के अनुपालन में पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रम तथा नवीन महाविद्यालयों के सम्बद्धता प्रस्तावों पर विचार करने हेतु सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 29.05.2017 को आहूत की गयी। सम्बद्धता समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आलोक में संस्था रमाबाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय, अमरोहा को स्नातक स्तर पर शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम/विषय में स्वितपोषित योजनानार्गत दिनांक 01.07.2017 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रेतर सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० २००३ राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) में प्राविद्यानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की अधिकारी में सभी नियोरित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। मानकानुसार शिक्षकों के अनुपोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्मत शासनादेश सं० 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमाला/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियोरित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्नाल महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जानेगी।
- संस्थान/महाविद्यालय संशर्त सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेना एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रही हैं।
- महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अधिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर याच जाल है कि संबंधित अधिलेख/सूचना कूटरचित अथवा असत्त थी एवं ऐसा कोई तथ्य घिप्पया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।
- कृष्ण संचालन से पूर्व सम्बद्धता समिति के सदस्य द्वारा जो कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा, मूलभूत आवश्यकताओं के परीक्षण हेतु स्वतीय निरीक्षण किया जायेगा।

भवदीय

Photo Copy Attested

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- वित्त अधिकारी, एप०ज००१००१००१००१०, बरेली।
- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
- निजी सचिव, कुलपति।
- अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, हन्दिरा भवन, लखनऊ।
- श्री रविन्द्र गांधी, प्रोग्रामर जो इस आशय से कि उक्त सूधना विश्वविद्यालय येवसाइट पर अपलोड करे।
- परीक्षा नियंत्रक /उप कुलसचिव (गोपनीय) को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

M. J. B.  
प्राचाय

मावाई अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय

गजरोहा (अमरोहा)

दृष्टि (एस०एस० श्री०)  
कुलसचिव

इ०ए०एस०एस० श्री००  
कुलसचिव